

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक:- मु०अ०(नि०) रा०यो०-22/2025 1197

/पटना, दिनांक- 31/3/2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलान्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों द्वारा 13 अदद पुल एवं 1 अदद पहुँच पथ निर्माण कार्य (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल चौदह (14) निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलान्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों द्वारा 13 अदद पुल एवं 1 अदद पहुँच पथ निर्माण कार्य (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल चौदह (14) निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 284.09 मी० एवं 0.600 कि०मी० निर्माण की कुल राशि 2491.504 लाख (चौबीस करोड़ इक्यानवे लाख पचास हजार चार सौ रुपया मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रकार	योजना का नाम	पुल/पथ की लम्बाई (मी०/कि०मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख रु० में)	अनुमानित मूल्य की राशि (लाख रु० में)	कटिगोली की राशि (लाख रु० में)	प्रशासनिक मूल्य की राशि (लाख रु० में)	ग्रामिण/उद्योग/शिल्प की राशि (लाख रु० में)	कुल राशि (लाख रु० में)
1	Munger	Dharbanga	Itwa Basuni PMGSY Road me Lakshola path me Pulya ka Nirman	2.00	13.294	1.218	0.145	0.327	0.000	14.984
2	Munger	Barharpur	Kharis se pipra path me pulya ka Nirman	10.00	58.061	4.082	0.621	1.398	0.000	64.162
3	Madhubani	Pandaul	Construction of HL RCC Bridge in Nawhal Mahendra Mandal ke Ghar ka Pass	19.80	194.049	4.293	1.940	4.366	0.000	104.648
4	KHARAGPUR -TARAPUR	TARAPUR	Construction of Culvert at Chainage 0.15 km on Irrigation Canal of Road SH-22 to Lakhanpur Bandh Via Home of Devanand Choudhary	3.00	25.627	1.617	0.275	0.620	0.000	28.438
5	Pakriddai	Pakriddai	Dhanuuli panchayat ke parsoni gram main kachua nadi maine tribhuvan ghat per uchha stariya pul nirman karya	40.50	439.458	2.249	2.697	9.886	0.000	454.290
6	Mahar	Raja Pokar	Panchayat Bhikampur antargat Gram Talyabpur Chor me Prabhanth Ray ke Boring ke nikat Nahar par pul ka nirman karya	23.00	146.240	0.850	1.460	2.950	0.000	151.500
7	Mahar	Mahar	Mahar Prakhand antargat Harayngat dardhura Panchayat antargat Ramogorath Rai ke Daisi ke naideek se Vaya Nadi per Pul ka Nirman thampur parmanandpur Tek jana wale Road per Nirman lambal lagbhag 60 se 70 mir	51.97	424.820	1.600	4.250	7.610	0.000	438.28
8	Mahar	Bidupur	Panchayat Manjhauri ke Gram Lakhan Main Ramgati Rai ke Ghar ke Nikat Pulya Ka nirman Karya	17.50	114.010	0.589	1.140	1.911	0.000	117.630
9	Hathua	HATHUA	Kusaudhi to Rani Sarisawa Janewali path me Khad me Jarjar pul ka nirman under Hathua block	7.25	62.019	1.962	0.620	1.329	0.000	65.930
10	Jagdishpur	Garhani	Garhani ke Garhani me Tingharva Tola Jo Ward No.-1 ke Samparkata Pardan karna	26.70	188.320	4.758	1.890	4.230	0.000	199.198

bn

क्र. सं.	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	कुल/पथ की लम्बाई (मी/कि.मी.)	निर्माण कार्य की राशि (लाख रु० में)	अनुसूचना नव की राशि (लाख रु० में)	कटिजेंसी की राशि (लाख रु० में)	प्रशासनिक मद की राशि (लाख रु० में)	भूमि अधिग्रहण/Utility Shifting की राशि (लाख रु० में)	कुल राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Jagdishpur	Jagdishpur	NH-319 (NH-30) Bagan Path me Sikariya Rajvaha me Devnar Gram me Pulya ka nirman karya	12.00	73.897	4.515	0.740	1.659	0.000	80.751
12	Tokari	Tikari	Bharti gram main pachhyari tola main pulya ka nirman karya	12.25	64.379	1.031	0.644	2.249	0.000	68.303
13	Borsol	Kachwa	पैली से बरसला ईरनाप एवं बरसला 100मी पर पथ का निर्माण	58.12	458.160	8.460	4.630	10.410	0.000	477.660
14	Purnea	Krityanand nager	पूनापुर पुल में एरोव पथ का निर्माण	0.800	79.180	7.820	0.870	1.957	34.023	125.830
			कुल							2491.504

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
- इन योजनाओं का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुसूचना की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-001-V के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 05.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक वित्त समिति से दिनांक 22.01.2025 को इस योजना हेतु कुल 3000.00 करोड़ रुपये का Bank Of Sanction (BOS) प्राप्त है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के संबंधित अधीक्षण अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
- इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०(नि०) रा०यो०-22/2025 के पृष्ठ संख्या-29/टि० पर प्राप्त है।
- यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०) रा०यो०-22/2025 के पृष्ठ संख्या-36/टि० पर दिनांक 31.03.2025 को प्राप्त है।
- ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशेषताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारतामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

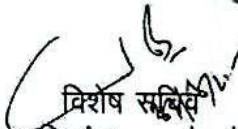
34

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कड़िका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर STA के Technical Vetting के उपरांत ही उच्च स्तरीय पुलों की प्रावैधिक स्वीकृति कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
19. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कड़िका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

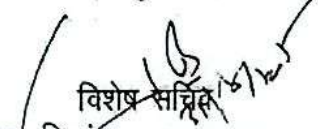
विश्वासभाजन


(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

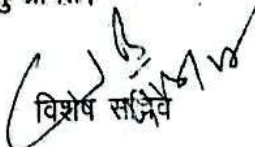
ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०) रा०यो०-22/2025 - 1197 / पटना, दिनांक- 31/3/2025
प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०) रा०यो०-22/2025 - 1197 / पटना, दिनांक- 31/3/2025
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०) रा०यो०-22/2025 - 1197 / पटना, दिनांक- 31/3/2025
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्रांडा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ph